न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 390/17 (RCMS No.2017/00412) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रेवडमल पुत्र किशना जाति गूजर निवासी ग्राम मझैवला तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण | पिसरान नारायण जाति गूजर निवासी मझेवला तहसील बौली जिला
2. जगदीश | सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार तहसील बौली

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर बौली जिला स.मा. दिनांक 09.07.2015

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र कर्दभ वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः—30.08.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बौली जिला सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी ख नं0 960 रकवा 0.02 हैक्टे0 चाह गत ख0 नं0 330 वांके ग्राम मझेवला तहसील बौली के इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था। बन्दोवस्त विभाग ने ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा के हाल ख0 नं0 959 रकवा 0.40 है0 एवं ख0 नं0 960 रकवा 0.02 है0 बनाये हैं जिसमें हाल ख0 नं0 960 रकवा 0.02 है0 को गैर मुमकिन चाह दर्शा दिया है। जबकि चाह कुआ उक्त ख0 नं0 330 में नही है। उक्त चाह ख0 नं0 332 में होना चाहिये। गत ख0 नं0 332 से हाल ख0 नं0 960 रकवा 02 एयर बनता है। बन्दोवस्त विभाग ने हाल ख0 नं0 960 गैर मुमकिन चाह को गत ख0 नं0 330 से बनना बताकर रेवडमल के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जावे। इस बाबत् दिनांक 12.10.06 को उप शासन सचिव ने भी जिला कलक्टर को पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिखकर ख0 नं0 960 को साबिक ख0 नं0 332 में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये है। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.06 में ख0 नं0 332 मिन रकवा 10 विस्वा सिवायचक का हाल ख0 नं0 961 बनना बताया है जिसमें चाह दक्षिण पश्चिम कौने पर स्थित होना बताया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि चाह ख0 नं0 330 में नही है। जगदीश की खातेदारी की आराजी साविक ख0 नं0 332 व हाल ख0 नं0 964 रकवा 0.38 है0 को चाह नं0 960 से सिंचित होना बताया है जो सही है। कल्याण की आराजी ख0 नं0 हाल 925, 926, 927 को भी चाह नम्बर 960 से सिंचित होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। अतः साविक ख0 नं0 332 रकवा 2 बीघा का हाल ख0 नं0 961 रकवा 11 एयर, 960 रकवा 02 एयर चाह, 964 रकवा 38 एयर बनाया जावे तथा ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा का हाल ख0 नं0 959 रकवा 42 एयर नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया कि ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा के हाल ख0 नं0 959 व 960 बने है। जिसमें हाल ख0 नं0 960 में चाह सही दर्ज किया है। चाह का निर्माण अप्रार्थी द्वारा कराया गया है। ख0 नं0 332 में कभी चाह नही था। सैटिलमेन्ट विभाग ने मौके अनुसार ही चाह का अंकन किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रार्थीगण अपनी आराजी की सिंचाई हाल ख0 नं0 960 गै.मु. चाह से करते हैं। अप्रार्थी रेवडया पुत्र कृष्णा की जमाबन्दी के खाता सं0 203 कुल किता 4 रकवा 20.50 हैक्टे. की सिंचाई भी चाह नं0 960 से ही होना पाया गया है। अतः उक्त ख0 नं0 960 चाह की खातेदारी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा जिसके हाल ख0 नं0 959 व 960 बनाये हैं। ख0 नं0 960 में चाह सही दर्ज किया है। ख0 नं0 960 में चाह का निर्माण अपीलान्ट द्वारा कराया है। सैटिलमेन्ट विभाग ने मौके की वास्तविक स्थिति एवं कब्जे के अनुसार इन्द्राजात किये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई खामी नही है। रैस्पो0 के मन में बद्यान्ती आ गई है। रैस्पो0 ने एस.डी.ओ के यहॉ शिकायत भी की थी जिसके तहत सैटिलमैन्ट विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर आये थे उन्होंने मौके के अनुसार सही इन्द्राज पाया था। उनका तर्क है कि इस प्रकरण में तहसीलदार ने कोई मौका नही देखा है, न ही कोई मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। दिनांक 26.06.2006 की मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में नही बनाई गई है न ही ऐसी किसी मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। यह प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी बदल दी है, जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के चाह नं0 960 में रैस्पो0 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र भूमि सिंचित के आधार पर चाह के ख0 नं0 में 1/2 अपीलान्ट का व 1/2 हिस्सा रैस्पो0 का मान लिया है जो गलत है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण को लोक अदालत में रखने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित नही किया गया, न ही दिनांक 09.07.15 को अपीलान्ट लोक अदालत में हाजिर था। लोक अदालत में वही प्रकरण निर्णित हो सकते हैं जिनमें दोनों पक्ष हाजिर हों व रजामंद हो। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा में अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिया है। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा में चाह कुआ नही है वल्कि चाह कुआं आराजी खसरा नं0 332 में स्थित है जो शुरू से ही ख0 नं0 332 में स्थित चला आ रहा है। ख0 नं0 960 रकवा 02 एयर साबिक ख0 नं0 332 जो सिवायचक राजकीय भूमि है, से बना है। जबकि भूमापक द्वारा हाल ख0 नं0 960 गैर मुमकिन चाह को साबिक ख0 नं0 330 से बनना बताया गया है, जो गलत है दिनांक 12.10.2006 को राजस्थान सरकार उपशासन सचिव ने भी जिला कलक्टर को उक्त तथ्य से अवगत कराया है तथा ख0 नं0 960 को साबिक ख0 नं0 332 में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये हैं। दिनांक 26.06.2006 को तहसीलदार बौली ने अपीलान्ट के मौके की जॉच की तो उन्होंने भी नवीन चाह को पूर्व ख0 नं0 332 मिन रकवा 10 विस्वा सिवायचक वंजर कदीम जिसका नवीन ख0 नं0 960 बनाया है, में दर्ज पश्चिम कौने पर स्थित होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि चाह ख0 नं0 330 में नही है तथा उससे बने ख0नं0 960 बनाया है, वह गलत है। भूमापक के विरूद्ध विभागीय शिकायत की जानकारी दिनांक 24.06.06 में स्पष्ट उल्लेख किया है। ख0 नं0 332 रैस्पो0 की खातेदारी का खेत है। भूमापक द्वारा ख0 नं0 964 दर्ज किया है जो सही है। किन्तु नवीन चाह के खसरा नं0 330 में गलत दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 का कथन है कि बन्दोवस्त विभाग ने ख0 नं0 330 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा के हाल ख0 नं0 959 रकवा 0.40 है0 एवं ख0 नं0 960 रकवा 0.02 है0 बनाये हैं जिसमें हाल ख0 नं0 960 रकवा 0.02 है0 को गैर मुमकिन चाह दर्शा दिया है। जबकि चाह कुआ उक्त ख0 नं0 330 में नही है। उक्त चाह ख0 नं0 332 में होना चाहिये। गत ख0 नं0 332 से हाल ख0 नं0 960 रकवा 02 एयर बनता है। बन्दोवस्त विभाग ने हाल ख0 नं0 960 गैर मुमकिन चाह को गत ख0 नं0 330 से बनना बताकर रेवडमल के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जावे। हमने इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.06 में ख0 नं0 332 मिन रकवा 10 विस्वा सिवायचक का हाल ख0 नं0 961 बनना बताया है जिसमें चाह दक्षिण पश्चिम कौने पर स्थित होना बताया है। कुआ भी रेवडया, कल्याण व जगदीश तीनों ने शामिल में बनवाया जाना बताया है तीनों ही काश्तकार उक्त कुऐ से अपने खेतों की सिंचाई करते है। मौके पर चाह नं0 960 रकवा 2 एयर गत ख0 नं0 330 व 332 के मध्य मौके पर बनी मैड से लगे हुऐ पूर्व दिशा में ख0 नं0 332 की तरफ बना हुआ है। इसके अलावा पर्चा खतौनी बन्दोवस्त में जगदीश की खातेदारी की आराजी साविक ख0 नं0 332 व हाल ख0 नं0 964 रकवा 0.38 है0 को चाह नं0 960 से सिंचित होना बताया है तथा कल्याण की आराजी ख0 नं0 हाल 925, 926, 927 को भी चाह नम्बर 960 से सिंचित होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में गैर मुमकिन चाह का उपयोग 1/2, 1/2 अपीलान्ट व रैस्पो0 दोनों ही करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने ख0 नं0 960 चाह की खातेदारी में अपीलान्ट व रैस्पो0 का 1/2, 1/2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये है, वह सही है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official